Agreement of 1916

Agreement

- 22 December 2011, 07:29
- Permalink
- Comments (1)

सामान्य प्रशासन विभाग 28 अप्रैल, 1917

न्यू गंगेज केनाल वर्क्स के वारे में 18 व 19 दिसम्बर, 1916 को हरिद्वार में आयोजित सम्मेलन की कार्यवाही।

18-19 दिसम्बर, 1916 को सम्मेलन में उपस्थित महानुभावों की सूची

(अ) प्रमुखः

हिज हाइनेस महाराजा, ग्वालियर

हिज हाइनेस महाराजाधिराज, जयपुर

हिज हाइनेस महाराजा, बीकानेर

हिज हाइनेस महाराजाधिराज पटियाला

हिज हाइनेस महाराजा, अलवर

हिज हाइनेस महाराजा, बनारस

(ख) अधिकारी गणः

महाराजा, दरभंगा-सदस्य बिहार, परिषद्

माननीय श्री रोज, सचिव भारत सरकार, लोक निर्माण विभाग

माननीय श्री बालों, मुख्य अभियंता, संयुक्त प्रान्त

श्री स्टैण्डले, अधीक्षण, अभियंता, सिंचाई शाखा, संयुक्त प्रान्त

श्री कूपर, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई शाखा, संयुक्त प्रान्त

मननीय श्री आर. बर्न, मुख्य सचिव, संयुक्त प्रान्त सरकार

(स) अन्य महानुभावः

माननीय महाराजा कासिम बाजार, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दू सभा

माननीय लाला सुखबीर सिंह, महासचिव, अखिल भारतीय हिन्दू सभा

माननीय पं. मदन मोहन मालवीय

माननीय राजा सर रामपाल सिंह, के0सी0आई0ई0 कुर्री, सुदौली, यू0पी0

माननीय राज गिरीराज सिंह-कुवेसर, संयुक्त प्रान्त

माननीय लाला रामा प्रसाद, हरिद्वार, संयुक्त प्रान्त

माननीय सरदार इन्द्रराज सिंह, हरिद्वार, संयुक्त प्रान्त

माननीय सुरजी बाबा, हरिद्वार, संयुक्त प्रान्त

माननीय राय सालिगराम ठाकुर साहब, हरिद्वार और लखनउ, संयुक्त प्रान्त

मननीय महन्त लक्ष्मण दास, देहरादून, संयुक्त प्रान्त

माननीय ठाकुर मोहन माहेन चंद, अमृतसर, पंजाब

माननीय राय कन्हैया लाल बहादुर, (अवकाश प्राप्त) कार्यकारी अभियंता, पंजाब

माननीय रामशरन दास बहादुर, लाहौर

बबू गोवर्धनदास, डिप्टी, मजिस्ट्रेट, करनाल, पंजाब

इन्जी. श्री पूर्वे, सेवानिवृत मुख्य अभियंता, पंजाब चीफ्स की ओर से

श्री एन्थोनी, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई शाखा, संयुक्त प्रान्त

पं0 दीनदयाल शर्मा, झजूझर जिन्होने निमंत्रण स्वीकार किया था किन्तु बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

चैधरी रघुवीर नारायण सिंह, असौरा जो आने में असमर्थ रहे।

(1) लेफ्टीनेन्ट गवर्नर सर मेस्टन स्वंय 18 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे उपर्युक्त सभी महानुभावों के साथ भीमगौड़ा पहुँचे।

(2) प्रथमतः सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किये गये माॅडल का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात दल कार्यस्थल, जहां वास्तविक कार्य हो रहा था वहां पहुँचा और उस स्थान पर गहन निरीक्षण किया, वहां पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी बातों के बारे में विस्तार से व्याख्या की गयी। इसके पश्चात भीमगोड़ा में पुनः सभा आयोजित हुई और निम्न विचार विमर्श हुआ।

(3) मा0 लेफ्टिनेन्ट गवर्नर में सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा योर हाईनेस महाराजाओं- ''आज हिन्दू धर्म को निकट से प्रभावित करने वाले एक प्रश्न के समाधान में सहयोग के लिये आकर आपने मुझे ऋणी बना दिया है। आप सभी महाराजाओं की अनुमति से शीर्घता से सहमति पर पहुँचने के लिये मैं प्रस्तावित करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक सज्ज्न को अपने विचार , असंतोष व्यक्त करने के लिये आमंत्रित किया जाय यदि हो रहे कार्यों से उसे कोई असंतोष है तथा अपने सुझाव बताएँ जिससे उनके अथवा उस समुदाय, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं के मस्तिष्क में चल रहे असंतोष का समापन हो सके। उसके बाद सारे मामले को आपके सम्मुख रखने के लिये अनुमति देंगे।''

(4) उसके पश्चात् बारी-बारी से प्रत्येक हिन्दू प्रतिनिधि में हिन्दुस्थानी भाषा में अपने विचार प्रकट किये-

म्हाराजा कासिम बाजार ने कहा- ''गंगा सभी हिन्दुओं की माँ है। हरिद्वार से सागर द्वीप तक उसका जल सभी घरेलू उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाता है। हरिद्वार में उसकी तीन धारायें हैं। एक धारा घाटों को पवित्र करती है दूसरी मायापुर नहर को पानी देती है और तीसरी धारा नये कार्य के द्वारा अब बन्द हो जायेगी।

''हम एक स्वतंत्र धारा चाहते हैं जिससे शुद्ध पानी इसमें प्रवाहित होता रहे। हम सरकार को एक ज्ञापन दे चुके हैं जिसमें वह माँग की गई है कि सागर द्वीप तक अविच्छिन्न प्रवाह के लिये केवल एक धारा होनी चाहिये। हम शुद्ध पानी चाहते हैं लेकिन हम सामान्य जन हैं इसलिये यह नहीं बता सकते कि वह कैसे होगा ?''

लेफ्टीनेन्ट गवर्नर में उनसे पूछा ''क्या आप गंगा के पूरे पानी का बहाव इसी प्रकार चाहते हैं अथवा उसके एक भाग को नहर में मोड़ने के लिये अनुमति देंगे?'' महाराजा ने उत्तर दिया कि वह गंगा के सम्पूर्ण जल का प्रवाह हिमालय से सागर तक चाहते हैं।

(5) मा0 महाराजा दरभंगा ने कहा ''वह बारहों महीने गंगा का निर्बाध प्रवाह चाहते हैं। यदि इसमें कोई भी कठनाई हो तो मैं उसे जानना चाहूँगा।''

(6) मा0 मदनमोहन मालवीय ने अपना वक्तव्य यह कहते हुए प्रारम्भ किया 1914 के सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने उस समय हुये निर्णय को ठीक से नहीं समझा था। इस बारे में उन लोगों के मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं था कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। यह सीधी बात थी कि उन्होंने निर्णय को ठीक से नहीं समझा था। दो बिन्दुओं के कारण भ्रम पैदा हुआ।

प्रथम यही था कि खोले जाने वाली नयी धारा में किसी नहर के रूप का प्रकटीकरण नहीं होना था। यद्यपि नहर एक हजार मील तक गई थी, फिर भी इस पर कहीं भी कोई घाट नहीं था। जनता गंगा तक जाने के लिये काफी खर्च उठाती है। सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र से उन्होंने (मालवीय जी ने) यही समझा था कि बांध में केवल एक द्वार होगा। बाद में उन्होंने पाया कि द्वार शहर में होगा जिसे पानी में उपर रखा जाएगा। उन्हें नहर से कोई आपत्ति नहीं थी , उन्हें कुछ अधिक पानी नहर के लिये लेने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी मगर उनके अनुसार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य पर्याप्त जल के निर्बाध प्रवाह हेतु योग्य द्वार होना चाहिये था। उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सम्बन्ध में पूरे भारतवर्ष की भावनायें कितनी गहरी है। बीकानेर , जैसलमेर लगा देश के सभी हिस्सों से लोग प्रयाग आते हैं। उनका इस तथ्य पर विश्वास है कि गंगा निर्बाध और शुद्ध है। उन्होंने (मालवीयजी ने) कहा कि धारा प्राकृतिक होना चाहिये और कोई कृत्रिम तटबन्ध आदि नहीं होना चाहिये। विचार विमर्श के पश्चात जो बातें दस्तावेजों से प्रकट होती है उनसे यह स्पष्ट है कि जनता पर्याप्त खुली धारा चाहती है जिससे वह स्नान कर सके। आवश्यक प्रवाह के लिये इसे पर्याप्त चैड़ा होना चाहिये। हजारों व्यक्ति नंदी की धारा में स्नान करते है अतः इसकी धारा इतनी चैड़ी होनी चाहिये कि जिससे नीचे के सभ्ज्ञी स्थानों पर शुद्ध जल प्राप्त हो सके। जनता प्रवाह को नियंत्रित किये जाने से क्षुब्ध दिखती है।

सम्भवतः 1914 के सम्मेलन में उपस्थित लोग तथा सम्मेलन के बाहर की जनता दोनों के मन में एक संभ्रम था नदी की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि इस असन्तोष को दूर किया जाय। यदि अतिरिक्त खर्च उठाना पड़े तब भी जनता की भावनाओं को शान्त करना चाहिए।

यह कहा जाता है यदि नहर में बहते पानी की मात्रा कम की जायेगी तो कृषकों को हानि होगी , मगर कोई भी हिन्दू अपनी आत्मा के निर्देश व धर्म के उपर भौतिक समृद्धि को नहीं रखेगा। मेरे मतानुसार पाँच फीट का रास्ता पर्याप्त नहीं था। स्नान करने पाँच से दस लाख तीर्थ यात्री आते हैं। वे बहुत दूर-दूर से कष्ट सहकर आते हैं। वे किसी भी प्रकार की कठिनाई को सह लेते हैं तब भी उसका महत्व नहीं हैं, क्योंकि यह जनता के विश्वास का प्रश्न है। इसे विभाग में रखा ही जाना चाहिए। उनका विश्वास है कि गंगा लोगों को शुद्ध करती है और पाप नष्ट करती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कुछ न कुछ अवश्य किया जाएगा।'

भ्पे भ्वदवनत (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) द्वारा नियंत्रक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ''हमको नियंत्रक से कोई आपत्ति नहीं है यदि वह खम्भों पर बने हुए पुल के जैसा हो। इस मुक्त धारा में वह किसी प्रकार का दरवाजा या जल कपाट नहीं चाहते। प्रवाह में फर्श भी नहीं चाहते।''

(7) मा0 लाला सुखबीर सिंह ने कहा कि ''वह 1914 के सम्मेलन में उपस्थित थे और उन्होंने समझा था कि धारा संख्या- 1 जैसी है वेसी ही रहेंगी। उसे वैसा ही किया गया और वह संतोषजनक था। उन्होंने कहा कि बांध से पर्याप्त पानी छोड़ा जायेगा जिससे लोग मृत शरीर को जला सकें व अपनी अन्य धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वह नहीं सोचते की पांच फुट का निकास पर्याप्त था साही ही उन्होंने बांध के शीर्ष सतह से नीचे तक निकास न होने पर भी आपत्ति की। आगे उन्होंने यह समझा था कि नई आपूर्ति धारा इस तरह से बननी चाहिए कि देखने में वह प्राकृतिक लगे और किसी प्रकार का कोई द्वार अथवा नाली न बनाई जाय। जब कि प्रमुख निर्माण हो चुके हैं गंगा का पानी समुद्र में नहीं जायेगा बल्कि नहर का पानी जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता घाटों पर नहर का पानी नहीं चाहती।

लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने टोकते हुए पूछा कि ''वे कितना जल इस प्रवाह में चाहते हैं।

लाला सुखवीर सिंह ने कहा किवह क्युबिक फीट में पानी की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते किन्तु हिन्दू सभा के द्वारा दिये गये ज्ञापन में तीस फीट का निकास द्वार मांगा गया है।

लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने पूछा कि ''क्या तीस फीट किसी गणना पर आधारित है ? लाला सुखबीर सिंह ने स्वीकार किया कि यह किसी गणना पर आधारित नहबल्कि अनुमान पर आधारित है।''

(8) ठाकुर मोहन चन्द पानी को रोकना नहीं चाहते थे। नियंत्रक का निर्माण भूमि के सतह के बराबर होना चाहिए था। नियंत्रक के कारण बन गयी नहर पर उन्होंने आपत्ति जताई।

(9) मा0 राय रामशरण दास बहादुर चाहते थे कि 1914 के सम्मेलन में लयि गये निर्णय का क्रियान्वयन हो। उन्होंने महाराजा कासिम बाजार, पं. मदनमोहन मालवीय और ठा. मोहनचन्द द्वारा कही गई बातों से सहमति जताई। उनके अनुसार 1914 की स्थिति को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया, उन्होंने सरकार से आपत्ति जताई मगर भरोसा भी किया िकवह उनके धर्म का समर्थन करेगी। उन्होंने यह नहीं समझा था कि वहाँ पर एक स्पष्ट निकास द्वार धारा एक की तरह होगा जैसा कि चैनल नं. 1 में रखा गया है।

(10) राय शालिग्राम ठाकुर ने कहा कि ''1914 के सम्मेलन से उन्होंने समझा था कि धारा एक की तरह पानी के मुक्त प्रवाह में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए सरकार पर विश्वास किया था।'

(11) मा. राजा रामपाल सिंह 1914 के सम्मेलन में नहीं थे किन्तु उन्होंने बाद में जारी की गई विज्ञप्ति को देखा था। उन्हें विज्ञप्ति की बातें याद नहीं थीं। वह भी पानी का ऐसा निकास चाहते थे जिससे निबांध तथा प्र्याप्त पानी बह सके, तथापि वह भी अन्य वक्ताओं की भांति पानी के प्रवाह की मात्रा नहीं बता सके। उन्होंने नीव के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन वह चाहते थे कि वह भूमि की सतह के बराबर हो किन्तु कोई भी दरवाजा नहीं होने चाहिए।

(12) राव गिरराज सिंह ने कहा कि यदि नहर में कम पानी रहेगा तो कृषकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्हें परियोजना से कोई नुकसान नहीं दिखा।

(13) सरदार इन्दराज सिंह ने कहा कि नई धारा में एक स्वतंत्र निकास होना चापहिए तथा उन्ळें सतह पर फर्श बनवाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(14) सुरजी बाबा ने कहा कि ''कोई भी दरवाजा या उंची नींव नहीं होनी चाहिए। धारा क्रमांक एक में भी कोई दरवाजा नहीं चाहिए। जब से नया काम हुआ है तब से पूरी नदी एक नहर बन गई है और भीमगोड़ा से हरिद्वार के बीच किसी भी घाट पर शुद्ध गंगा जल नहीं है। जहां भी कोई गेट (दरवाजा) होगा वहां नहर होगी ही , आप इसको किसी भी नाम से पुकारें। उन्होंने उदाहरण दिया कि पंजाब और अन्य स्थानों से लोग नदी में प्रवाहित करने के लिए अस्थियां लेकर आये थे और जब उन्होंने यहां निर्माण कार्य देखा तब उसे लेकर ऋषिकेश चले गये।''

(15) लाला राम प्रसाद नहर नहीं चाहते थे।

(16) महन्त लक्ष्मण दास चाहते थे कि नील धारा बांध खोला जाय जिससे कि पानी का पर्याप्त स्वतन्त्र प्रवाह सुनिश्चित हो सके। वे पर्याप्त प्रवाह को स्पष्ट नहीं कर सके। उन्होंने यह भी समझा कि नई धारा में धारा संख्या एक की तरह ही स्वतन्त्र निकास होगा।

(17) राय कन्हैया लाल बहादुर ने कहा कि सरकार क किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को तैयार थे। 1914 की बैठक में भाग लेने वाले किसी भी अधिकारी महाशय ने उनसे नियंत्रक के बारे में नहीं पूछा था। वे जानते थे कि एक नियंत्रक लगेगा। उन्होंने तीर्थों तथा गंगाजल की पवित्रता को स्वीकार किया था वे सहमत थे कि जलमार्ग (ब्ीदमस) एक नहर की तरह नहीं लगता है। उन्होंने कहाि कि हम करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं का अवश्य सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि बांध में एक चैड़ा निकास छोड़ा जा सकता है। वे अभी भी ऐसा सोचते हैं। गंगा अपना स्तर स्वयं ही समायोजित कर लेगी। तब उन्होंने तकनीकी ब्यौरा सविस्तार दिया तथा यह कहते हुए अपनी बात को समाप्त किया कि द्वारा तथा नियंत्रकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तलहटी दरार से 5 या 6 फीट उपर होगी। दरार को 30 फीट तक चैड़ा किया जा सकता है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात को समाप्त किया कि हिन्दू अपने धार्मिक विश्वास के प्रति बहुत चिन्तित हैं।

(18) राय श्री राम बहादुर ने कहा कि उन्होंने 20 वर्ष सरकारी सेवा की है। हिन्दू कभी भी नहीं चाहेंगे कि गंगा को रोका जाय। वे कोई जल द्वार या नियंत्रक नहीं चाहते, और उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि जलद्वार नहीं बनाये गये होते तो हर की पैड़ी पर कोई प्रदूषण नहीं होता। पहले स्थान पर वे नियंत्रक के नीचे बड़े पत्थर रखेंगे। यदि बहुत अधिक कटाव होता है , तो उनको इसे पक्का बनाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। उनका सोचना था कि 5 फीट चैड़ा द्वार काफी नहीं था। बिना गणना के वे नहीं कह सकते कि चैड़ा होना चाहिए।

(19) माननीय पं. मदन मोहन मालवीय ने ध्यान दिलाया की कनखल में दक्ष नामक जगह पर पानी नहीं था तथा लोग इसको लेकर काफी व्यथित थे। उन्होंने कहा कि मायापुर निकास के लिए वास्तविक रचना कनखल को पानी देने के लिए अभिकल्पित की गई थी और यह पाया गया है कि कोई भूल हो गई थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भूल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुये इन्जीनियर लोग बचाव की दृष्टि से पर्याप्त गुंजाइश छोड़ेंगे।

(20) माननीय लाला सुखबीर सिंह ने कहा कि हरिद्वार तथा कनखल के नीचे कई घाट है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें पर्याप्त जल प्राप्त होगा।

(21) तब सम्मेलन में अभियंताओं के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ तथा विविध सुझाव सामने रखे गए। पांच बजते-बजते ऐसा सम्भव लग रहा था कि कोई समझौता हो जायेगा तथा तीन विकल्प जो नीचे दिये गये हैं , लिखकर उपस्थित लोगों को सूचित किया गया।

(प) नये जलमार्ग को इस प्रकार मोड़ा जाना चाहिए ताकि यह नये नियंत्रक से मायापुर तक नदी के समानान्तर बह सके , साथ ही एक सहायक जलमार्ग बांध से निकाला जाएगा जो तख्तों द्वारा बन्द किया जा सकेगा ताकि उसके रेती से भराव को पूर्ण रूप से रोका जा सके। यह जलमार्ग हर की पैड़ी को जल प्रदान करने में सहायक होगा। 1914 के समझौते में यह इंगित किया गया था कि यदि जलमार्ग संख्या एक को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया जाता है जिस पर कि सहमति भी था, तो यह इस कारण रेत से भर जाएगा और प्रत्येक वर्ष कुछ समय तक जल रहित भी रह सकता है।

(पप) नियंत्रक में कुछ दरवाजे स्थाई रूप से बन्द कर दिये जाने चाहिए जबकि अन्य स्थाई रूप से पूरी तरह खोल दिये जाने चाहिए। तली, नये खोदे गए जल मार्ग के सतह के बराबर होगी। इसके साथ ही एक नया जलमार्ग खोला जाएगा जो नियंत्रित किया जा सकेगा। इस विकल्प का लाभ यह है कि वर्ष के अधिकांश समय में जलमार्ग में अनियंत्रित पानी की मात्रा उस मात्रा से अधिक रहेगी जो कि नियंत्रक द्वारा छोड़े जाने पर रहेगी।

(पपप) नियंत्रक उसी प्रकार रहने चाहिए जैसे कि बनाए गये थे लेकिन इसके कुछ दरवाजे स्थाई रूप से खोल दिये जाने चाहिए , जबकि कुछ दरवाजे नियंत्रक युक्त होने चाहिए। इसके साथ ही जलमार्ग सं. 1 को खुला रखने के लिए प्रत्येक वर्ष एक कच्चे बन्ध की आवश्यकता होगी।

(22) सम्मेलन तब अगले दिन तक स्थगित कर दिया गया , लेकिन कुछ मुख्य व्यक्तियों, अभियंताओं तथा कुछ हिन्दू प्रतिनिधियों के बीच देर तक और विचार-विमर्श चलता रहा।

16 दिसम्बर, 1916

श्री एन्थोनी तथा महाराजा कासिम बाजार को छोड़कर उक्त सभी महानुभाव

19 दिसम्बर को भी उपस्थित थे एवं निम्न पांच अन्य महानुभाव सभा के महासचिव के आग्रह पर उपस्थित हुए क्योंकि इन्होंने भी स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर किये थे।

स्वामी मंगल नाथ जी, ऋषिकेश

राय बहादुर लाला हरजीमल खन्ना, पेशावर

राय बहादुर लाला हरीचंद, मुल्तान

राय साहकब लाला पन्ना लाल, अम्बाला एवं

डाॅ0 पारस राम शर्मा, फिरोजपुर

(23) 19 दिसम्बर को 11.00 बजे सुबह सम्मेलन भीम गौड़ा पर पुनः एकत्र हुआ तथाउन सुझाये गए विकल्पों पर एवं कुछ नये बिन्दुओं पर विचार विमर्श आगे बढ़ा।

(24) भ्पे छवदवनत (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) 1.00 बजे उपस्थित हुए। 18 तारीख को उपस्थित महानुभावों में से श्रीमान एंथोनी, माननीय राजा कासिम बाजार जिनको वापस जाना आवश्यकता था तथा लाला रामप्रसाद जो स्वस्थ नहीं थे उपस्थित नहीं रहे।

(25) तब तक चैथा प्रस्ताव आया कि- (प) नया नियंत्रक स्थाई रूप से खुला रहना चाहिए। (पप) एक कच्चा बन्धा जैसा कि इस समय बना हुआ है आपूर्ति जलमार्ग सं. 1 पर बनाया जाना चाहिए जिससे कि 1000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति उस समय भी सुनिश्चित की जा

सके, जब आपूर्ति उस मात्रा में नहीं हो पा रही हो। इस सुझाव पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वह शाम को चार बजे माननीय महाराजा बहादुर दरभंगा द्वारा सम्मेलन के समक्ष रखा गया।

(26) महाराजा बहादुर (दरभंगा) ने कहा -

''योर आॅनर हमने इस प्रश्न का बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया है और निम्न प्रस्ताव आपकी सरकार के सामने प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। वे निम्न प्रकार है-

(प) हर की पैड़ी व अन्य घाटों से गंगा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में प्रत्येक वर्ष हेड चैनल संख्या-1 पर एक कच्चा बन्धा बनाया जाना चाहिए जो कम से कम 1000 क्यूसेक पानी के बहाव की गारंटी देता हो।

(पप) जहाँ द्वार या प्रवाह निर्माणाधीन रेगुलेटर (नियंत्रक) द्वारा स्थाई रूप से बन्द नहीं किया जाना है वहां सड़क के नीचे और खम्भों के बीच की पुनर्निमित कांक्राीट की दीवाल पूरी तरह निकाल दी जानी चाहिए और वहां पर किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रक नहीं होने चाहिए।

(पपप) गंगा का निर्बाध (बेरोकटोक) प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक के ड्योढ़ी को भी जलमार्ग के जमीन के स्तर पर हटाया जाना चाहिए।

(पअ) नियंत्रक के नीचे, आपूर्ति चैनल के नचेजतमंउ की ओर का जमीन के किनारे का त्रिभुजाकार भाग हटाया जाना चाहिए ताकि पुल के नीचे किसी भी नहर का आभास भी न हो।

(ब) (प) बांध में छोड़ा गया खुला मार्ग (निकास) फाउन्डेशन स्तर की ओर उपरी सतह से नीचे तक किया जाना चाहिए।

(पप) बांध का निकास भरपूर चैड़ा होना चाहिए ताकि हरिद्वार के नीचे के स्थानों को भी शास्त्रों के अनुसार, भरपूर जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(पपप) हमें सलाह दी गई है कि यदि कम से कम 1000 क्यूसेक पानी उन्मुक्त प्रवाहित होता है तो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है पर यदि यह अव्यावहारिक समझा जाता है तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि उसकी राय में कितनी मात्रा इस उद्देश्य को पूरा कर सकेगी ?

(पअ) इसके लिए मासिक बहाव (मात्रा) सुनिश्चित करना ही होगा और उसे रिकार्ड रूप में रखना भी होगा।

(स) कनखल के घाटों को निर्बाध जलापूर्ति के लिए उचित प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(द) नरौरा के बांध में भी हरिद्वार की भांति सापेक्ष एक निकास बनाया जाना चाहिए।

(27) सरकारी अभियंताओं को इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सभा यहीं विसर्जित कर दी गयी।

(28) सम्मेलन के सदस्यों के पुनः एकत्रित होने पर लेफ्टीनेंट गवर्नर महोदय ने कहा-

''मैं सभा में उपस्थित भद्र जन और उनके साथियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपनी संस्तुति के साथ प्रस्तावों को सरकार के विचार करने के लिए हमारे सम्मुख रखने का निश्चय किया है। मध्यान्तर में मैने उन प्रस्तावों को अपने अभियन्ताओं के समक्ष रखा तथा उन्होंने भी स्वेच्छा से अपनी उन संस्तुतियों को छोड़ देने की इच्छा प्रकट की जो उन्होंने कुछ अधिक तकनीकी रूप में सरकार के समक्ष्ज्ञ विचार हेतु पहले प्रस्तुत की थीं। उन्होंने अपने तरीके से वो सलाह दी , जो वे देना चाहते थे तथा उनका वर्णन किया। अब मैं मुख्य अभियंता से उनके प्रस्तावों को पड़ने का अनुरोध करूँगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको सुनिश्चित कर सकूं कि जो कुछ भी वो पढ़ने जा रहे हैं वह सब व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ही है यह केवल व्यापारिक ही नहीं है वरन् उन भावनाओं के अनुरूप ही है जिसे आप लोगों ने हमारे समक्ष रखा है।

(29) मि. बालों ने तत्पश्चात निम्नलिखित वाक्यों को सभा के समक्ष पढ़ा-

(प) हरिद्वार में हर की पैड़ी तथा अन्य घाटों पर गंगा के बन्धन मुक्त बहाव को सुनिश्चित करने के लिए एक कच्चा बांध चैनल नं. एक के शीर्ष पर जब आवश्यक होगा बनाया जाएगा, इस धारा में कम से कम 1000 क्यूसेक पानी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सिर्फ उस समय को छोड़कर जब चैनल नं. 1 के रेती की सिफाई हो रही होगी।

(पप) फिर भी सिंचाई शाखा इस बात को ध्यान में रखते हुए चैनल नं. 1 के आकार में कभी भी, किसी भी बिन्दु पर कमी करने का अधिकार (सिंचाई ब्रांच) स्वयं रखती है। उदाहरण के तौर पर, यह पाया जाता है कि चैनल में प्रवेश की चैड़ाई कम करना आवश्यक है। इसके लिए ऐसे मामलों में चैनल में प्रवेश की चैड़ाई को विद्यमान दीवार की ही तरह की दीवार बनाकर कम किया जा सकता है। चैनल नं. 1 के जलस्तर को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थान पर कम करने के अधिकार को सिंचाई शाखा सदैव अपने पास ही रखेगी। लेकिन इन सभी मामलों में धारा के अनवरत प्रवाह में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

(पपप) नई आपूर्ति धारा के मुहाने पर दरवाजे (गेट) नहीं लगाये जायेंगे। कुछ रास्ते पक्की दीवार और मिट्टी के कच्चें बांध बनाकर पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जाएंगे और कुछ पूर्ण रूप से खोल दिये जायेंगे। सभी द्वार चाहे वे खुले हैं अथवा बन्द के उपर आने-जाने के लिए मार्ग होगा। हरिद्वार के तरफ की जो तलहटी होगी वो आपूर्ति जलमार्ग के तल के तथा रेती के बराबर होगी। मायापुर से प्रारम्भ होने वाली नहर को पानी देने के लिए आवश्यक छिद्रों को खोलने या बन्द करने का अधिकार स्वयं सिंचाई विभाग के पास रहेगा जैसा कि

समय-समय पर अनुभव होता रहा है। साथ ही साथ हरिद्वार शहर और वर्तमान के नहर कार्यों की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। लेकिन वे छिद्र जो कि उपर बताए गये हैं और अभी ख्ुाुले हैं तो वे उसी प्रकार खुले रहेगें और जो छिद्र बन्द हैं वे सिंचाई विभाग द्वारा पक्की दीवार द्वारा पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जायेंगे आपूर्ति नाले के मुहाने में खुलने वाली विद्यमान नालियां उसी प्रकार रहेंगी। ये नालियां उस समय को छोड़कर जबकि हरिद्वार में कोई आपदा या वर्तमान नहर के कार्यों में दुर्घटना न आ जाए प्रयोग में कभी नहीं ली जाएंगी। जब बहृत ज्यादा आवश्यक हो जाय तब बहाव के निकास द्वारों को लकड़ी के तख्तों से अल्प समय के लिए पूरी तरह से बन्द करना आवश्यक हो जाएगा।

(पअ) एक स्वतंत्र खुला द्वार नदी के बांध में छोड़ा जाएगा जो कि नीचे सतह तक चला जाएगा। इस खुले प्रवाह का निर्माण सिंचाई शाखा द्वारा गणना करके इस प्रकार किया जाएगा जिसमें कि सर्दी के दिनों में जल का स्तर कम होने पर भी 400 क्यूसेक पानी निरन्तर बहता रहे।

(अ) मायापुर रेगूलेटर पर भी एक खुला प्रवाह गणना करके बनाया जाएगा जिससे 200 क्यूसेक पानी स्थाई रूप से कनखल घाटों की सेवा हेतु प्राप्त होता रहे।

(30) महामहिम (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) ने आगे बोलते हुए कहा कि ''सज्जनों मैं इन प्रस्तावों में किसी प्रत्यक्ष तकनीकी पन का लाभ लेने का बिल्कुल अनिच्छुक हँू और यदि कोई सज्जन कोई प्रश्न पूछना चाहते हों या किसी भी भाग के बारे में कोई भी व्याख्या या सुझाव हों तो मैं उनके सुझावों का स्वागत करूँगा।

(31) एक संक्षिप्त विचार-विमर्श के उपरान्त निस्तारण की शर्तों का अन्ततः निर्धारण हुआ और बैठक स्थगित कर दी गई।

(32) सदस्यों के पुनः एकत्र होने पर लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने कहा - ''महाराजाओं और सज्जनों ! अब मैं ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों तथा सभी कार्यों को पूरा करने और उसे आगे चलाने के लिए जिम्मेदार अभियन्ताओं के मध्य एक समान आधार वाले विषय को आपके समक्ष पढ़ने जा रहा हूँ।

(प) हरिद्वार में हर की पैड़ी और उसके बाद घाटों से गंगा के बिना रोक-टोक के प्रवाह के लिए एक कच्चा बन्ध चैनल नं. 1 के सिरे पर जब आवश्यक होगा बनाया जायेगा, उसमें चैनल नं. 1 की सफाई कार्य के समय को छोड़कर न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल के प्रवाह की गारंटी दी जाती है। सिंचाई विभाग ने आश्वासन दिया कि यह कार्य जितना जल्दी हो सके उतनी तेजी से किया जायेगा जिससे हर की पैड़ी पर जल का प्रवाह इस धारा द्वारा बना रहेगा।

(पप) चैनल नं. 1 के लिए खुला द्वार जैसे वर्तमान में है ठीक वैसा ही छोड़ दिया जायेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई खतरनाक अनुभव आता है तब आवश्यक हुआ तो खुले द्वार की चैड़ाई को घटा कर (मूल धाराओं में) जलस्तर को घटने से रोका जायेगा। ''किन्तु इसके अलावा कोई भी कदम हिन्दु समुदाय के पूर्व परामर्श के बिना नहीं उठाया जाएगा।'

(पपप) नए आपूर्ति चैनल के सिरे पर गेट नहीं लगाया जायेगा। कुछ छिद्र जो एक दूसरे के आस-पास हों को पूर्णरूप से दीवार तक कच्चे बन्धों द्वारा बन्द कर दिया जायेगा। सभी छिद्र चाहे बन्द हों या खुले हों उनके उपर लोगों के आने जाने के लिए पुल होगा। हरिद्वार की तरफ की तलहटी आपूर्ति जलमार्ग के तल के तथा रेती के बराबर होगी। मायापुर से शुरू होने वाली नहर को पानी देने के लिए आवश्यक द्वारों को खोलने या बन्द करने का अधिकार स्वयं सिंचाई विभाग के पास ही रहेगा जैसा कि समय-समय पर अनुभव होता रहा है तथा साथ ही साथ यह, हरिद्वार शहर तथा अन्य वर्तमान नहर कार्यों की सुरक्षा के हित में भी है। लेकिन वे छिद्र जो कि उपर बताए गए हैं उसी प्रकार खुले रहेंगे और जो छिद्र बन्द हैं वे सिचाई शाखा द्वारा कच्चे बन्धों द्वासरा पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जायेंगे जैसा कि उपर जिक्र किया गया है। आपूर्ति धारा के मुहाने में खुलने वाला वर्तमान प्रवाह (नालियाँ) उसी प्रकार रहेंगी। ये नालियाँ उस समय को छोड़कर जबकि हरिद्वार में वर्तमान के नहर कार्य में कोई आपदा या दुर्घटना न आ जाय प्रयोग में नहीं लाई जायेंगी। जब बहृत आवश्यक हो तभी बहाव के निकास को लकड़ी के तख्तों से अल्प समय के लिए पूरी तरह से बन्द करना आवश्यक हो जाएगा।

(पअ) एक मुक्त निकास उस बंधारा में छोड़ दिया जायेगा, जो नीचे जमीन तक होगा। निकास द्वारों को इस तरह निर्मित किया जाएगा कि सिंचाई शाखा की गणना के अनुसार जाड़े के समय में नदी के निम्न स्तर पर होने की स्थिति में भी आवश्यक 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सके। इस उद्देश्य के लिए (खाचों का) विवरण सिंचाई शाखा के पास रखा जाएगा।

(अ) मायापुर नियंत्रक पर एक मुक्त निकास उच्च धारा की तरफ जाते हुए बनाया जायेगा जो कि गणना द्वारा नियत 200 क्यूसेक के बहाव द्वारा कनखल घाट को आपूर्ति करेगा। जो कि कनखल को छोड़ने के बाद गंगा में पुनः मिल जाएगा।

अब मै। अन्तिम कदम उठाने के पूर्व माननीय महाराजाओं, जिन्होंने इतने धैर्य के साथ सम्मेलन में भागीदारी की है के समक्ष प्रस्तावित निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए रखते समय दो छोटी बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मै। कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय महोदय महाराजा लोग सलाह देने में सक्षम हैं और आप के सलाह के कारण मै। इस हल को स्वीकार करता हूँ तो मैं इसे व्यावहारिक रूप से तथा सार्वजनिक रूप से अभिलेखित करूँगा कि यह समझदारी रखनी होगी कि आज का यह समझौता 1914 के समझौते के अनुपूरक में ही लिया जाना चाहिये और वह प्रवर्तन में तभी तक रहेगा जब तक वह आज के इस समझौते के अनुरूप रहेगा। मै। आपके ध्यान में यह लाने को इच्छुक हूँ कि नरौरा के समस्त सन्दर्भ को इस समझौते के द्वारा छोड़ दिया जा रहा है कारण यह है कि नरौरा

का प्रश्न मेरे हाथ से निकलकर भारत सरकार के पास पहुँच चुका है। लेकिन मै। यह कोशिश करूँगा कि सभा की इच्छाओं को भारत सरकार के समक्ष विचार के लिए रखा जाए। और अब , माननीय महाराजाओं मैं आपसे जानना चाहूँ कि जबकि आपने समस्त बातें सुन ली हैं, आप महसूस करते होंगे कि आपको यह कहना चाहिए कि यह दस्तावेज उन सभी तत्वों को निहित करता है जो कि आपने युक्ति-युक्त समझौता होने के लिए सुझाया है।

(33) प्रमुख लोगों (सभी महाराजाओं) ने आपस में विचार करके एक सकारात्मक उत्तर दिया।

(34) लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने कहा - ''सज्जनों, मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सम्माननीय महाराजा अलबर तथा अन्य उपस्थित महाराजाओं ने इन प्रस्तावों और अनुशंसाओं को व्यावहारिक समझौते के रूप में हिन्दू भावनाओं के अनुरूप ही स्वीकार किया है।''

''अब सज्जनों हम यहाँ से चलें इसके पूर्व , मैं सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रत्येक सम्माननीय गण का ह्रदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ- सर्वप्रथम तो अखिल भारतीय हिन्दू सभा और ब्रिटिश इण्डिया के प्रतिनिधियों को जिन्होंने स्पष्ट , पूर्ण तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक इस विषय की सभी जटिल समस्याओं पर चर्चा की तथा अपनी भावनाओं को कुशलता से और व्यवस्थित रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मैं सिचाई शाखा के प्रतिनिधियों , श्रीमान बालों मुख्य अभियंता तथा उनके सहायकों को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने तत्परता तथा मित्रतापूर्ण तरीके से इन समस्याओं पर विचार किया जो उनके सम्मुख अपरिचित रूप में उपस्थित हो गई थीं। उनके गैर सरकारी सहकर्मी कि. ईगर्टन पूर्वे का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो यहाँ पर शासकीय प्रमुखों के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में उपस्थित हुए तथा जिन्होंने इस लम्बी तकनीकी चर्चा में अपनी सलाह तथा मदद की , मैं। अगला विशेष आभार मि. रोज (सचिव लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार) के प्रति व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अत्यन्त प्रशंसनीय तथा मूल्यवान सहयोग और शान्त स्वभाव के कारण समाने आयी बहुविध समस्याओं को कुशलता और विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। उनके अन्त में आदरणीय महाराजओं के लिए धन्यवाद देने हेतु शब्द ढूंढना भी कठिन है जिन्होंने बहुत कष्ट उठाते हुए , समय दिया, सुख सुविधा छोड़कर यहां उपस्थित हुए तथा पूरी शालीनता के साथ इस विषय पर मुझे सलाह दी। मैं निश्चित रूप से कहा सकता हूँ कि पूरे हिन्दू समाज के प्रति कृतज्ञता आपका सबसे बड़ा सम्मान होगा।''

(35) दरभंगा के सम्माननीय महाराज ने उनके सम्मान में एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया-

''हम, सर जेम्स मेस्टन को ह्रदय से आभार अभिव्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इतनी विनम्रता से हमारी शिकायतों को सुना और उनकी शालीनता तथा सहयोग के कारण ही हम लोग एक संतोष जिनके समाधान तक पहुंचने में समर्थ हुये हैं।'

(36) लेफ्टीनेण्ट गवर्नर के सम्मान में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बीकानेर के महाराजा ने कहा-

''आदरणीय लेफ्टीनेण्ट महोदय तथा सज्जनों, मै यहाँ उपस्थित महाराजाओं, शासक राजकुमारों और अपनी तरफ से, दरभंगा के महाराजा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का अनुमोदन करने एवं अपनी ओर से भी स्वयं धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हम सभी लोग लेफ्टीनेण्ट गवर्नर (हिज आनर) का धन्यवाद करते हैं जिनके प्रयासों से अनेक कठिनाइयों और परिस्थितियों में से तर्क संगत (वैधानिक) प्रयासों से एक युक्ति युक्त हल तक पहुँचने में, जिससे कि भारत के हिन्दू समाज में व्याप्त भय, उत्तेजना तथा असंतोष को भली प्रकार से दूर करने में सफलता मिली है। मै। निश्चित रूप से महसूस करता हूँ कि कभी भी ऐसा प्रश्न खड़ा ही नहीं हुआ कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भाग से अथवा कोई स्थानीय सरकार या सिंचाई अधिकारी इस विश्वास को भंग करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से परिस्थितियों वश घटी घटनाओं के कारण कुछ भ्रान्तियां उत्पन्न हुई, किन्तु यह आनन्द का विषय है कि बहुत ही कुशलता और धैर्य के साथ धीरे-धीरे हम समाधान तक आ गए। ब्रिटिश इंडिया की सीमा के बाहर से आये हम लोगों को एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। हम ले0 गवर्नर और उनकी सरकार के साथ ब्रिटिश इंडिया में रहनेवाले बन्धुओं के साथ मिलकर व्यावहारिक एवं तर्कयुक्त ढंग से शीघ्रतिशीघ्र अपनी इच्छाओं को एक संतोषजनक स्वरूप देते हुये एक समझौते पर आ गये हैं। मुझको लगता है कि मैं , केवल अपने महाराजा बन्धुओं की भावनाओं की ओर से ही नहीं बोल रहा हूँ वरन ब्रिटिश इण्डिया की जनता की ओर से विशेष रूप से उन प्रतिनिधियों की ओर से भी जो यहां उपस्थित हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी जिसमें मि 0 बार्लो भी हैं जिन्होंने हमारी प्रार्थना और मांगों को पूरा करने का प्रयास किया, इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे प्रसन्नता हुई है कि संचिाई विभाग एवं हरिद्वार के लोगों के मध्य लम्बे समय से अच्छे संबंा हैं। मुझे विश्वास है कि इस समाधान से सम्बन्ध और भी बढ़ेंगे। और अन्त में अपनी तथा ब्रिटिश इंडिया के लोगों की ओर से आदरणीय रोज को विशेष धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संतोषजनक समाधान तक आने में हमारी बहुत सहायता की तथा प्रसन्नता के साथ समिमलित रूप से अपना धन्यवाद करता हूॅ तथा धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन भी करता हूँ।

(37) माननीय लाला सुखवीर सिंह ने अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की तरफ से संतोषजनक समाधान पर अपनी सहमति प्रदान की।

(38) हिज हाइनेस अलवर के महाराजा ने कहा-

''योर आॅनर (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) और मित्रों, मै आपके धैर्य की और लम्बी परीक्षा इस समय नहीं लूंगा। लेकिमन मैं महसूर करता हूँ कि हरिद्वार से दूर जाने के पूर्व अपनी भावनाओं को उसके साथ सम्बद्ध करूँ जिसके बारे में बीकानेर के महाराजा पहले ही कह चुके हैं, अन्यथा मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं मानूँगा। ऐसे मौके पर मैं अति उल्लास महसूस कर रहा हूँ। अपने हिन्दू भाइयों और एक

महत्वपूर्ण मामले के साथ और अपने पुराने मित्र मि. बार्लो और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की इस सहमति पर जो यह हो रहा है, मै। उपरोक्त के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से लेफ्टीनेण्ट गवर्नर को सम्मान देना चाहूँगा कि जिस धैर्य बौद्धिकता तथा प्रबन्ध के साथ कार्यवाहियां हुई जिनके परिणाम स्वरूप एक संतोषजनक हल आज के दिन आया है।

हमारी माता 'गंगा' की पवित्रता संसार भर में जानी जाती है। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य था कि ऐसे हल को निदेर्शित करें जिससे यहाँ कुछ समय पूर्व प्रारम्भ हुए कार्य के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयाँ दूर हो सकें। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि इन निर्माण कार्यों को हाथ में लेने के पहले ही इनके उपर मुक्ति पूर्वक विचार किया गया हो तो आज जितना परिश्रम हम सभी ने मिलकर यहां किया है, इससे बचा जा सकता था। किन्तु यह कार्य , योर आनर (लेफ्टीनेण्ट-गवर्नर), के कार्यकाल के प्रारम्भ होने के पहले ही शुरू हो गया था अतः हम सभी का कर्तव्य बनता था कि किसी ऐसे समाधान पर पहुंचा जाये जो कि यहाँ उपस्थित महानुभावों को स्वीकार्य हो तथा साथ ही साथ सम्पूर्ण देश में फैली हुई भावनाओं और आवश्यकताओं को भी सन्तुष्ट करे। इस उद्देश्य के लिये ही हमने आपका समय लिया था तथा हम आपके धैर्य, कुशलता तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सूझबूझ की प्रशंसा करते हैं जिसके कारण बहुत से कठिन तथा जटिल प्रश्नों का समाधान निकल सका। हम आशा करते हैकि विविध प्रश्नों का समाधान करते हुए समय की कसौटी पर वे स्वयं खरे उतरेंगे तथा जब जनता को मां गंगा की अविच्छिन्न धारा उसके घाटों पर होकर प्रवाहित मिलेगी तभी जनता के मन को सन्तुष्टि मिलेगी।

यह एक ऐसा विषय है जो समय आने पर ही सिद्ध हो सकेगा, किन्तु आज हमारी आशा यही है कि समस्याओं का समाधान हिन्दू जनता की संवेदनाओं और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिये। योर आनर, लेफ्टीनेण्ट महोदय मै।, इस बात के लिये आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको अपने सामश्र्य के अनुसार अपनी माँ गंगा की सेवा हेतु आमंत्रित किया। हम महामहिम वायसराय महोदय को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने महाराजाओं को साथ ब्रिटिश इण्डिया के हिन्दू भाइयों की यह सभा आयोजित करने का सुझाव दिया तथा इसको निश्चित भी कराया , हमको पूरी आशा है कि जो निष्कर्ष योर आनर लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने पढ़ा है, वह अब सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

(39) उपस्थित हिन्दू प्रतिनिधियों द्वारा पैरा 32 में उल्लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सम्मेलन समाप्त हुआ।

हस्ताक्षर
आर0 बर्न
मुख्य सचिव

शासनादेष सं. 2728/प्प्प्-495, दिनांक 26 सितम्बर, 1917

26 सितम्बर, 1917 को मा0 श्री आर. बर्न मुख्य सचिव संयुक्त प्रान्त सरकार द्वारा मा. लाला सुखबीर सिंह, सचिव अखिल भारतीय हिन्दू सभा को भेजे गये पत्र 2728/प्प्प्-495 की प्रति।

(1) मुझे आपके पत्र दि0 5.12.1916 के संबंध में सूचित करने का निर्देश हुआ है, जिसमें गंगा नहर परियोजना हरिद्वार के बारे में अखिल भारतीय हिन्दू सभा की परिषद् द्वारा दिये गयेे ज्ञापन के द्वारा ले0 गर्वनर से मांग की गयी कि -

(अ) नियंत्रक, द्वार, निर्माण कार्य व नहर के विभिन्न भागों का पक्का निर्माण कार्य जो कि हर की पैडी के उपर नई आपूर्ति धारा में हो रहा है बन्द किया जाय।

(ब) बांध में कम से कम तीस फीट का निकास द्वार हरिद्वार में छोड़ा जाय जो कि नदी के निचले प्राकृतिक सतह तक जाये और इसी तरह का एक निकास द्वार नरौरा के बांध में भी हो।

(2) यह प्रश्न कि क्या हरिद्वार में हो रहे निर्माण कार्य से हिन्दुओं की दृष्टि में गंगा नदी और उस स्थान की पवित्रता कम हो जायेगी , ले0 गवर्नर द्वारा 1914 में इस विषय पर गहराई से विचार किया गया था। उस वर्ष 5 नवम्बर को ले0 गवर्नर हरिद्वार आये थे और उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया था। जिसमें महाराजा जयपुर और कई महानुभाव , जो हिन्दू जनमत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने भाग लिया। उस सम्मेलन में हिन्दू समुदाय की ओर से गंगा की पवित्रता को बनाये रखने के लिए तीन आग्रह किये गय थे।

(प्) हरिद्वार के घाटों पर वर्तमान की आपूर्ति धारा क्र.-1 के मायम से गंगा का निर्बाध जल मुक्त धारा द्वारा मिलते रहना चाहिये।

(प्प्) गंगा की मुख्य धारा के द्वारा पानी कास्वतंत्र बहाव होना चाहिये जिससे कि इलाहाबाद बनारस व अन्य पवित्र स्ाि◌ानों को गंगा का जल मिलता रहे।

(प्प्प्) यह कि उस धारा को जो पानी को हरिद्वार के घाटों तक ले जाती है , निर्माण कार्य द्वारा इस प्रकार का स्वरूप न दिया जाय जिससे की वह नहर प्रतीत हो।

3. इन बिन्दुओं पर परियोजना स्ाि◌ल तथा सभा में विस्तार से विचार किया गया और नहर के अधिकारियों से विचार करने के बाद ले0 गवर्नर ने निम्न निर्णय घोषित कियेः-

(प्) आपूर्तिधारा क्र0 1 में निकास द्वार को जैसा कि वह आज है ठीक वैसा ही रहने दिया जायेगा। प्रस्तावित नियंत्रकों के निर्माण के बिना यह अनुमान लगाया गया कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है , इसलिये अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है और इस बात की गारंटी दी गयी कि चैड़ाई की कमी अथवा सतह में किसी परिवर्तन के सन्दर्भ में कोई निर्णय हिन्दू समुदाय के पूर्व सलाह के बिना नहीं लिया जायेगा। सिंचाई विभाग हरिद्वार घाट पर स्नानार्थियों के लिये पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिये उत्तरदायी होगा परन्तु यह स्पष्ट किया गया कि इस धारा के मुक्त निकास को यदि बंद किया गया तो आगे नदी छिछली हो जायेगी और जल द्वार के कारण से वर्तमान की तुलना में पानी की कमी रहेगी।

(प्प्) मुक्त निकास द्वार कभी भी बंद नहीं किया जाये तथा बंाध से स्नानर्थियों के उपयोग के लिये पर्याप्त पानी छोड़ा जायेगा।

(प्प्प्) नई आपूर्ति धारा कृत्रिम रूप से निर्मित न हो बल्कि लालजीवाला द्वीप के माध्यम से प्राकृतिक रूप वाली हो।

यह निर्णय सभा में उपस्थित महानुभावों द्वारा हिन्दू समुदाय को नई परियोजना के द्वारा होने वाले कठिनाइयों के संदर्भ में संतोषजनक समाधान के रूप में स्वीकार किया गया।

4. उपर वर्णित प्रथम निष्कर्ष के बारे में किसी प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं हुआ मगर अन्य दो के बारे में ऐसा लगता है कि भ्रम उत्पन्न हुआ और मुझे सभा को सूचित करने के लिये यह कहना है कि ले0 गवर्नर ने उनका एक जज की भंाति एक उचित अर्थ समझाा और सरकारी अधिकारियोंु तथा अन्य किसी उचित इच्छा वाले व्यक्ति ने हिन्दू जनभावनाओं की संतुष्टि एवम् नहर के उपर निर्भर विशाल जनसमुदायों के हित रक्षा के सन्दर्भ में भी बातों को समझा। जहां तक दूसरे निर्णय की बात है जैसा कि मौके पर ले0 गवर्नर को बताया गया था कि बांध से बह रहे पानी के निरन्त प्रवाह को स्नानार्थियों के हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाय तथा उसे मानवीय अभिकरण द्वारा न तो बन्द किया जायें और न ही नियंत्रित किया जाये। इस उद्देश्य को एक निकास के द्वारा उसे पूरा किया जाना चाहिये। इस प्रकार परनी की आपूर्ति स्वतंत्र और नियंत्रण मुक्त रहेगी और हिन्दुओं का यह विश्वास पूरा होगा कि हरिद्वार के नीचे गंगा का शुद्ध जल प्रवाहित होता है। इस निर्णय का इस तरीके से अनुपालन हुआ कि गंगा के बांध में एक निकास द्वार ऐसा होगा जिसका तल गंगा की सतह तक जायेगा।

5. तीसरे निर्णय का अनुपालन पुर्नरचना के अनुरूप हरि की पैड़ी के ठीक उपर नियंत्रक के सामने लालजीवाला द्वीप के रूप में हुआ। इस प्रकार धारा का स्वरूप प्राकृतिक दिखता था और एक समान तल पर भीमगौड़ा से मायापुर तक पूरी धारा गुजरती थीं। यह सर प्रोवी टी0 कौटले की योजना के अनुरूप थी।

6. जबकि एक नया समझौता हो गया लेफ्टीनेण्ट गवर्नर (हिज आनर) ने इस प्रश्न पर किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं की और ज्ञापन में इस बारे में दिये गये उन उदाहरणों पर किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहते जिसे वह सही नहीं मानते। दिसम्बर 18 व 19, 1916 को हरिद्वार में आये हुए हिन्दू प्रतिनिधियों ने मेरे सुझावों को सरकार तथा सिंचाई अधिकारियों के प्रति अविश्वास के कारण अस्वीकार कर दिया। ले0 गवर्नर महोदय ने स्वीकार किया कि 1914 के समझौते को कुछ लोगों ने ठीक से नहीं समझा था। अतः एक अन्य बहस की आवश्यकता समझी गयी और हरिद्वार में दिसम्बर अंत में सभा के लिये आमंत्रण भेजा गया। सभा में भाग लेने वाले प्रमुखों, अधिकारियों व अन्य सज्जनों की सूची से, जो हरिद्वार में उपस्थित थे। स्पष्ट है कि वहां हिन्दू जनमत का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, इसमें कई राजा, हिन्दू समुदाय के कई महानुभाव तथा भारतीय हिन्दू सभा के अध्यक्ष और महासचिव शामिल थे तथा परियोजना से संबंध्ाित पदाधिकारियों से राजाओं को सलाह देने के लिये उनके द्वारा नियोजित एक अभियंता श्री इगर्टन पूर्व तथा भारत सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग के सचिव भी शामिल थे। विचार-विर्मश में नदी की धारा और परियोजना का एक माॅडल रखा गया। माॅडल के अध्ययन के अतरिक्त उपस्थित अभियंताओं के सुझाव के साथ ही पूरी परियोजना का निरीक्षण भी सदस्यों केसाथ किया गया। जिससे कि फिर किसी प्रकार का भ्रम न हरे।

7. मैं आपकी सूचना के लिये सभा में लिये गये निष्कर्षों का वर्णन करता हूँ।

(i) हरिद्वार में हर की पैड़ी और उसके बाद घाटों से गंगा के बिना रोक-टोक के प्रवाह के लिए एक कच्चा बन्ध चैनल नं. 1 की सफाई कार्य के समय को छोड़कर न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल के प्रवाह की गारंटी दी जाती है। सिंचाई विभाग ने आश्वासन दिया कि यह कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से किया जायेगा जिससे हर की पैड़ी पर जल का प्रवाह इस धारा द्वारा बना रहेगा।

(ii) चैनल नं. 1 के लिए खुला द्वार जैसे वर्तमान में है ठीक वैसा ही छोड़ दिया जोयेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई खतरनाक अुभव आता है तब आवश्यक हुआ तो खुले द्वार की चैड़ाई को घटा का (मूल धाराओं में) जलस्तर को घटने से रोका जायेगा।

(iii) नए आपूर्ति चैनल के सिरे पर गेट नहीं लगाया जायेगा। कुछ छिद्र जो एक दूसरे के आस-पास हों को पूर्णरूप से दीवार तक कच्चे बन्धों द्वारा बन्द कर दिया जायेगा। सभी छिद्र चाहे बन्द हों या खुले हों उनके उपर लोगों के आजने जाने के लिए पुल होगा। हरिद्वार की तरफ की तलहटी आपूर्ति जलमार्ग के तल के तथा रेती के बराबर होगी। मायापुर से शुरू होने वाली नहर को पानी देने के लिए आवश्यक द्वारों को खोलने या बन्द करने का अधिकार स्वयं सिंचाई विभाग के पास ही रहेगा जैसा कि समय-समय पर अनुभव होता रहा है तथा साथ ही साथ यह, हरिद्वार शहर तथा अन्य वर्तमान नहर कार्यों की सुरक्षा के हित में भी है। लेकिन वे छिद्र जो कि उपर बताए गए हैं उसी प्रकार खुले रहेंगे और जो छिद्र बन्द हैं वे सिचाई शाखा द्वारा कच्चे बन्धों द्वारा पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जायेंगे

जैसा कि उपर जिक्र किया गया है। आपूर्ति धारा के मुहाने में खुलने वाला वर्तमान प्रवाह उसी प्रकार रहेगा। ये नालियां उस समय को छोड़कर जबकि हरिद्वार में यह वर्तमान के नहर कार्य में कोई आपदा या दुर्घटना न आ जाय प्रयोग में नहीं लाई जायेंगी , जब बहुत आवश्यक होगा तभी बहाव के निकास को लकड़ी के तख्तों से अल्प समय के लिए पूरी तरह से बन्द किया जायेगा।

(iv) एक मुक्त निकास उस बांध में छोड़ दिया जायेगा, जो नीचे जमीन तक होगा। निकास द्वारों को इस तरह निर्मित किया जायेगा कि संचिाई शाखा की गणना के अनुसार जाड़े के समय में नदी के निम्न स्तर पर होने की स्थिति में भी आवश्यक 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सके। इस उद्देश्य के लिए (खाचों का) विवरण सिंचाई शाखा के पास रखा जाएगा।

(v) मायापुर नियंत्रक पर एक मुक्त निकास उच्च धारा की तरफ जाते हुए बनाया जायेगा जो कि गणना द्वारा नियत 200 क्यूसेक के बहाव द्वारा कनखल घाट को आपूर्ति करेगा। जो कि कनखल को छोड़ने के बाद गंगा में पुनः मिन जायेगा।

8. मुझे ये कहना है कि उक्त सभी बातें 1914 के उस समझौते की पूरक है जो अभी भी उस सीमा तक प्रभावी है जिस सीमा तक उपरोक्त बातों के अनुकूल है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभियांत्रिक दृष्टि से नयी नियंत्रण व्यवस्था खतरनाक है। नये नियंत्रक में द्वारों का उद्देश्य हरिद्वार को बाढ़ के खतरे से बचाना था। द्वारों का न होना नई आपूर्ति धारा के सतह के खतरें के सन्दर्भ में भी असंतोषजनक है। यह भी समभव है कि मानसून के दिनों में जब नदी में बाढ़ होगी तब लकड़ी के दरवाजों का प्रयोग करते हुये हरिद्वार को तथा धारा के तल को अधिक मिट्टी जमा होने से बचाना आवश्यक हो जायेगा , जैसा कि अनुच्छेद 7, पपप में उपर दिया गया है या नई आपूर्ति धारा के खुले सिरे पर नियंत्रक लगाकर एक अलग मार्ग द्वारा जल को मायापुर ले जाया जाये तथा हरिद्वार घाट पर वहने वाली धारा के साथ न मिलाया जाये। अनुच्छेद 7 में दिये प्रावधानों के अनुरूप सरकार इन विकल्पों को प्रयोग में लाने का मार्ग खुला रखेगी।

पैरा-7 में उल्लिखित खुले प्रवाह को आवश्यक माना गया। किसी भी स्थिति में सरकार द्वारा स्वीकृत इस जिम्मेदारी से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चैनल नं0 1 से एक हजार क्यूसेक जल की आपूर्ति घाटों पर होगी।

9. नरौरा के प्रश्न को कान्फ्रेंस में छोड़ दिया गया है तथा इस समाधान बाद में किया जायेगा।

नोट: इस पत्र में मुख्यतः पैरा 8 में ध्यान केन्द्रित किया गया है।

सन् 1914 के समझौते की प्रतिलिपि

1. आपूर्ति धारा क्र. 1 के लिए निकास द्वारा जैसा कि इस समय है ठीक वैसा ही रहने दिया जायेगा। अनुभवों के आधार पर यदि यह खतरनाक होता है, तब यह आवश्यक हो सकता है कि वर्तमान निकास द्वार की चैड़ाई को छोटा किया जाये जिससे कि पानी के तल को कम होने से रोका जाये। किन्तु इसके अलावा कोई भी कदम हिन्दू समुदाय के पूर्व परामर्श के बिना नहीं उठाया जायेगा। सिंचाई विभाग की यह जिम्मेदारी रहेगी कि हरिद्वार के घाटों पर स्नानार्थियों के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति होती रहे। यह बात ध्यान में रहनी चाहिये कि आपूर्ति धारा क्र0 1 के मुक्त प्रवाह के निकास को कम कर देने से तलहटी में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी आदि वर्तमान में जमा होगी। जिसको सेल्यूज (फाटक) द्वारा की कम किया जा सकता है। यह बात ध्यान में रहेगी ही कि यदि वार्षिक सफाई टाली जाती है तो पानी की कमी हो जायेगी जैसा कि इस समय है।

2. बन्धे में एक मुक्त द्वारा छोड़ा जायेगा जिससे स्नानार्थियों को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा और इसे कभी भी बन्द नहीं किया जायेगा। अभियन्ता गण गणना करके यह सुनिश्चित करेंगे कि स्नानार्थियों को वर्ष के सभी मौसम में निरन्तर अविच्छन्न (निर्बाध) जल प्राप्त होता रहे।

3. नई आपूर्ति धारा में पक्की दीवार नहीं बनायी जायेगी। लालजी वाला द्वीप पर होते हुये एक प्राकृतिक कटाव रहेगा। यह आशा नहीं की जाती कि आपूर्ति धारा क्र. 1 की लाइनिंग को बढ़ाया जाये। ध्यान में रखा जायेगा कि हरिद्वार के घाटों को जल की आपूर्ति करने वाली धारा न तो नहर के नाम से पुकारी जायेगी और न ही वह नहर जैसी दिखलाई ही देगी।